

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झाँसी।

त्रांक:-सी.एम.ओ./एन.टी.सी.पी./कोविड-19/2020-21/ 297

दिनांक:-15.04.2020

1. समस्त अपर/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झाँसी।
2. समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झाँसी।
3. समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जनपद झाँसी।

विषय:-सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं पानमसाला इत्यादि पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019-20/8375 लखनऊ दिनांक 13.04.2020 के क्रम में आपको आदेशित किया जाता है कि कोरोना वायरस महामारी को दृष्टिगत रखते हुये अपने अधीन समस्त सार्वजनिक स्थानों पर पान मसाला/तम्बाकू खाकर इधर-उधर थूकने, धूम्रपान तथा खुली सिगरेट की बिक्री एवं गुटखा के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगवाना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ उक्त कृत्य करते हुये पकड़े जाने पर कोटपा 2003 के नियमों/अधिनियमों इत्यादि के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
झाँसी।

०१८

दिनांक:-15.04.2020

पत्रांक:-सी.एम.ओ./एन.टी.सी.पी./कोविड-19/2020-21/ 297
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ०प्र० लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी महोदय, झाँसी।
- 3- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, झाँसी मण्डल झाँसी।
- 4- प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय, झाँसी।
- 5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय झाँसी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
झाँसी।

०१८